राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22 जयपुर, दिनांक 04-09-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने आदेश क्रमांकः प.1(5)(18)संस्था/रानिआ/2013/1609 दिनांक 05.05.2023 द्वारा दिनांक 05.05.2023 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर विधि विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्था के तौर पर वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में उप विधि परामर्शी के पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित किये किये जाने हेतु इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.05.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त कर दिया जाता है, जिससे विधि सेवा के अधिकारी आदेशों की प्रतिक्षा में (ए.पी.ओ.) हो जाते है और उक्त राजसेवक के वेतन इत्यादि भुगतान हेतु बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) करने, अतिरिक्त कार्य आवंटित करने एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु विधि विभाग ही अधिकृत है।

सभी जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को परिपत्र क्रमांकः प.22(13)न्याय/97 दिनांक 25.08.2023 जारी कर यह लेख कर दिया गया है कि विधि सेवा के अधिकारियों को बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त नहीं करें एवं यदि अत्यावश्यक हो तो विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियो को नियमानुसार निर्देशित कर सके।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

अतः राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी के संबंध में जारी की गई उक्त इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.05.2023 को निरस्त किया जाकर श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी को राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान में उप विधि परामर्शी के पद पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण किये जाने हेतु एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी का स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया गया था अपितु इन्हें कार्यव्यवस्था के तौर पर लगाया गया था। अतः श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी के वेतन भत्ते इत्यादि उप विधि परामर्शी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पद से ही आहरित किये जायेंगे।

आज्ञा से

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान कराने हेतु संबंधित को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
4. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22 जयपुर, दिनांक 04-09-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्री नरेश पाल सिंह(वरिष्ठ विधि अधिकारी), सहायक विधि परामर्शी, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग को शासन उप सचिव, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग ने आदेश क्रमांकः प.13(1)सीएडी/2022 दिनांक 16.02.2023 द्वारा दिनांक 16.02.2023 को मध्याह्न पूर्व कार्यमुक्त कर विधि विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया।

श्री नरेश पाल सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्था के तौर पर ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में सहायक विधि परामर्शी के पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित किये किये जाने हेतु इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.06.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त कर दिया जाता है, जिससे विधि सेवा के अधिकारी आदेशों की प्रतिक्षा में (ए.पी.ओ.) हो जाते है और उक्त राजसेवक के वेतन इत्यादि भुगतान हेतु बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) करने, अतिरिक्त कार्य आवंटित करने एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु विधि विभाग ही अधिकृत है।

सभी जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को परिपत्र क्रमांकः प.22(13)न्याय/97 दिनांक 25.08.2023 जारी कर यह लेख कर दिया गया है कि विधि सेवा के अधिकारियों को बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त नहीं करें एवं यदि अत्यावश्यक हो तो विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियो को नियमानुसार निर्देशित कर सके।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

अतः राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्री नरेश पाल सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में जारी की गई उक्त इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.06.2023 को निरस्त किया जाकर श्री नरेश पाल सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी को कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग में सहायक विधि परामर्शी के पद पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण किये जाने हेतु एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है।

श्री नरेश पाल सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया गया था अपितु इन्हें कार्यव्यवस्था के तौर पर लगाया गया था। अतः श्री नरेश पाल सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी के वेतन भत्ते इत्यादि सहायक विधि परामर्शी, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के पद से ही आहरित किये जायेंगे।

आज्ञा से

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री नरेश पाल सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान सहायक विधि परामर्शी, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के पद से ही आहरित कराने का श्रम करावें।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22 जयपुर, दिनांक 04-09-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने आदेश क्रमांकः प. 2(13)जविप्रा/संस्था/21 दिनांक 26.04.2023 द्वारा कार्यमुक्त कर तुरन्त प्रभाव से विधि विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया।

श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्था के तौर पर पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित किये किये जाने हेतु इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.05.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त कर दिया जाता है, जिससे विधि सेवा के अधिकारी आदेशों की प्रतिक्षा में (ए.पी.ओ.) हो जाते है और उक्त राजसेवक के वेतन इत्यादि भुगतान हेतु बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) करने, अतिरिक्त कार्य आवंटित करने एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु विधि विभाग ही अधिकृत है।

सभी जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को परिपत्र क्रमांकः प.22(13)न्याय/97 दिनांक 25.08.2023 जारी कर यह लेख कर दिया गया है कि विधि सेवा के अधिकारियों को बिना विधि विभाग की पूर्व सहमति के कार्यमुक्त नहीं करें एवं यदि अत्यावश्यक हो तो विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार निर्देशित कर सके।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

अतः राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में जारी की गई उक्त इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.05.2023 को निरस्त किया जाकर श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण किये जाने हेतु एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है।

श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया गया था अपितु इन्हें कार्यव्यवस्था मे तौर पर लगाया गया था। अतः उक्त श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी के वेतन भत्ते इत्यादि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से ही आहरित किये जायेंगे।

आज्ञा से
(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान कराने का श्रम करावें।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव